न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 15 सन् 2022
पंजीयन दिनांक 20.01.2022

1. चन्दा पत्नि पारसमल जाति जैन निवासी प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. मनीषा पत्नि अमित जाति जैन निवासी प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. गोपाल पिता पेमा जाति गायरी निवासी बसाड हाल मुकाम कुलथाना तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. ऊंकार पिता पेमा जाति गायरी निवासी बसाड हाल मुकाम कुलथाना तहसील व जिला प्रतापगढ़
3. मोहनलाल पिता पेमा जाति गायरी निवासी बसाड हाल मुकाम कुलथाना तहसील व जिला प्रतापगढ़
4. मदनलाल पिता पेमा जाति गायरी निवासी बसाड हाल मुकाम कुलथाना तहसील व जिला प्रतापगढ़
5. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़
6. राज्य सरकार भूमिधारी प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
बमिसल क्रमांक 238/213 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.12.2015

उपस्थित– 1. रमेशपुरी –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश भटनागर–रेस्पोडेन्टगण–1 से 4
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5 व 6

निर्णय **दिनांक 16.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट ने वादपत्र उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा छोटी बम्बोरी की आराजी नम्बर 248 रकबा 0.09 हैक्टेयर 249 रकबा 0.13 हैक्टेयर 251 रकबा 0.07 हैक्टेयर 253 रकबा 0.26 हैक्टेयर 366 रकबा 0.04 हैक्टयेर 367 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल रकबा 6 रकबा 0.91 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2015 को रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की।

अपील मे अपीलान्ट पक्षकार मुकदमा नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया जो न्यायहित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण की ओर से अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिसके लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर उक्त अपील अन्दर म्याद मानते हुए श्रवनार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टगण का कथन रहा कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 196 मे से 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आंवटन कमेटी की राय से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.1977 को आंवटित की गई तथा आंवटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता का अनवरत रूप से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता पेमा का दिनांक 01.10.2013 को स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात का विरासत का खाता खुलवाने हेतु पटवार हल्का के पास गया तो पता चला कि आंवटनशुदा आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता के खातेदारी मे दर्ज नही हुई और आराजी नम्बर 196 मे से 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि के नये आराजी नम्बर 248 रकबा 0.09 हैक्टेयर 249 रकबा 0.13 हैक्टेयर आराजी नम्बर 251 रकबा 0.07 हैक्टेयर 253 रकबा 0.26 हैक्टेयर 366 रकबा 0.04 हैक्टेयर 367 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.91 हैक्टेयर होकर अभी भी बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड हो गई। रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया। विधि के अनुसार धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस प्रेषित नही किया। रेस्पोडेन्ट वादीगण अधीनस्थ न्यायालय मे तनकी नम्बर 4 विधि विपरीत रूप से सूचना देने के सम्बन्ध मे विरचित की गई। इस तनकी को सिद्ध करने का भार रेस्पोडेन्ट वादीगण पर था। रेस्पोडेन्ट वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की। अन्त मे बहस के दौरान अपील मे अंकित समस्त तथ्यो को पुनः दोहराते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। बहस के दौरान उभयपक्षकारान ने न्यायालय मे विचाराधीन पत्रावली को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया। व उभयपक्षकारान की सहमति को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 को निरस्त की जाकर प्रकरण मे अपीलान्टगण को पक्षकार मुकदमा कायम किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधि अनुसार अजरसे नव निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 238/2013 निर्णय व डिकी दिनांक 12.12.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगण को पक्षकार मुकदमा प्रतिवादी कायम कर अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ